

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा / सान्याअवि / 15 /

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा / सान्याअवि / 15 / 32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

(अ) अनुसूचित जाति

क्र.स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-अजमेर						
1.	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, अजमेर	अनु.जाति	35	10	0	25
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगढ़	अनु.जाति	50	10	0	40
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रूपनगढ़	अनु.जाति	35	0	10	45
4.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, अजमेर	अनु.जाति	75	0	10	85
		योग	195	20	20	195
जिला-अलवर						
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बहरोड	अनु.जाति	50	0	5	55
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अलवर प्रथम	अनु.जाति	80	5	0	75
7.	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, अलवर	अनु.जाति	50	15	0	35
8.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, अलवर	अनु.जाति	75	20	0	55
		योग	255	40	5	220
जिला-भरतपुर						
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उच्चैन, भरतपुर	अनु.जाति	35	0	5	40
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, वैर, भरतपुर	अनु.जाति	50	0	15	65
11.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, भरतपुर	अनु.जाति	75	0	5	80
		योग	160	0	25	185
जिला-बून्दी						
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, इन्द्रगढ़	अनु.जाति	50	0	10	60
		योग	50	0	10	60
जिला-बारा						
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सकतपुर	अनु.जाति	40	15	0	25
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बारा प्रथम	अनु.जाति	35	10	0	25
		योग	75	25	0	50
जिला-दीकानेर						
15.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नौरा	अनु.जाति	50	15	0	35
16.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लूणकरणसर	अनु.जाति	50	0	5	55
17.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दियातरा	अनु.जाति	50	0	5	55
18.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, श्रीडगरगढ़	अनु.जाति	35	0	5	40
		योग	185	15	15	185
जिला-चुरू						
19.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुजानगढ़	अनु.जाति	60	10	0	50
20.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रतननगर	अनु.जाति	50	25	0	25
		योग	110	35	0	75

जिला-झालावाड						
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, उन्हेलनागेश्वर	अनु.जाति	35	0	15	50
22	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, डंग	अनु.जाति	50	25	0	25
		योग	85	25	15	75
जिला-जैसलमेर						
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रामगढ़	अनु.जाति	50	15	0	35
24	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, जैसलमेर	अनु.जाति	75	25	0	50
25	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फतेहगढ़	अनु.जाति	50	0	20	70
26	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रामदेवरा	अनु.जाति	60	0	20	80
27	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांकड़ा	अनु.जाति	60	0	10	70
		योग	295	40	50	305
जिला-जोधपुर						
28	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मल्लार	अनु.जाति	45	15	0	30
29	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फलोंदी	अनु.जाति	115	0	15	130
		योग	160	15	15	160
जिला-कोटा						
30	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, माला रोड़, कोटा	अनु.जाति	80	0	20	100
31	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांगौद	अनु.जाति	50	0	25	75
		योग	130	0	45	175
जिला-नागौर						
32	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रियाबड़ी	अनु.जाति	25	0	10	35
33	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, नागौर	अनु.जाति	35	0	15	50
		योग	60	0	25	85
जिला-राजसमन्द						
34	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, राजसमन्द	अनु.जाति	50	15	0	35
35	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आमेट	अनु.जाति	60	0	5	65
36	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कूरज	अनु.जाति	25	0	10	35
37	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गिलुण्ड	अनु.जाति	35	10	0	25
		योग	170	25	15	160
जिला-सवाईमाधोपुर						
38	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खण्डार	अनु.जाति	65	25	0	40
		योग	65	25	0	40
जिला-श्रीगंगानगर						
39	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, विजयनगर	अनु.जाति	50	15	0	35
40	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केसरीसिंहपुर	अनु.जाति	50	15	0	35
41	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रावलामण्डी	अनु.जाति	40	5	0	35
42	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अनूपगढ़	अनु.जाति	80	5	0	75
43	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गजसिंहपुर	अनु.जाति	50	5	0	45
		योग	270	45	0	225
जिला-करौली						
44	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करौली	अनु.जाति	70	0	5	75
45	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, श्रीकरणपुर	अनु.जाति	55	5	0	50
		योग	125	5	5	125
जिला-सिरोही						
46	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सिरोही द्वितीय	अनु.जाति	65	5	0	60
47	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रवेदर	अनु.जाति	50	25	0	25
		योग	115	30	0	85
जिला-उदयपुर						
48	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, वल्लभनगर	अनु.जाति	35	10	0	25
49	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, मधुवन उदयपुर	अनु.जाति	40	0	10	50
		योग	75	10	10	75

50	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बादीकुई	अनु जाति	90	0	5	95
51	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बहरावण्डा	अनु जाति	25	0	25	50
		योग	115	0	30	145
जिला-जयपुर (शहर)						
52	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, गांधीनगर	अनु जाति	75	0	25	100
53	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, गांधीनगर	अनु जाति	55	0	30	85
		योग	130	0	55	185
जिला-बांसवाड़ा						
54	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तलवाड़ा	अनु जाति	35	0	15	50
		योग	35	0	15	50
जिला-बाड़मेर						
55	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैसिन्धर स्टेशन	अनु जाति	25	0	25	50
		योग	25	0	25	50
		महायोग	2885	355	355	2885

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/

565/5-48

जयपुर, दिनांक

18/09/15

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4.जिला कलक्टर,
- 5.निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
- 7.उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
- 8.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रावली।

18.9.15

अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल राजीवजी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (1) () अनु.छा./सान्याअवि/15/

जयपुर, दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

(अ) अनुसूचित जाति

क्र.स.	नाम छात्रावास	संस्था का नाम	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
					कमी	वृद्धि	योग
जिला-झुन्झुनू							
1.	अनुदानित अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, अरडावता, झुन्झुनू	इन्द्रगांधी बालिका छात्रावास, अरडावता, झुन्झुनू	अनु.जाति	50	25	0	25
				योग	50	25	0
जिला-जोधपुर							
2.	अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, लौहावट, जोधपुर	श्री रामदेव शिक्षा उत्थान संघ, पोकरण, जैसलमेर	अनु.जाति	40	10	0	30
				योग	40	10	0
जिला-सीकर							
3.	अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सीकर	श्री कृष्ण छात्रावास राधाकिशनपुरा, सीकर	अनु.जाति	50	5	0	45
				योग	50	5	0
जिला-दौसा							
4.	अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, कुण्डल, दौसा	भारद्वाज शिक्षा विकास समिति, आगरा रोड, दौसा	अनु.जाति	25	0	25	50
				योग	25	0	25
जिला-नागौर							
5.	अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, जायल, नागौर	महात्मा गांधी अनुदानित छात्रावास, नागौर	अनु.जाति	35	0	15	50
				योग	35	0	15
				महायोग	200	40	40
							200

(अम्बरीष कुमार)

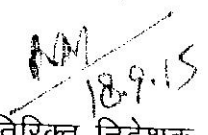
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/567/2015-372 जयपुर,दिनांक: 18/09/15

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1.विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री महोदय,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4.जिला कलक्टर,.....।
- 5.निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,।
- 7.उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
- 8.अध्यक्ष/सचिव/मंत्री.....।

- 8.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
- 9.आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रजिडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/

जयपुर, दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

(अ) स्वच्छकार

क्र. स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-राजसमन्द						
1.	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, देवगढ़	स्वच्छकार	50	15	0	35
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देवगढ़	स्वच्छकार	50	0	5	55
		योग	100	15	5	90
जिला-भीलवाड़ा						
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हमीरगढ़	स्वच्छकार	25	0	10	35
		योग	25	0	10	35
		महायोग	125	15	15	125

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, भीलवाड़ा/राजसमन्द।
- निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा/राजसमन्द।
- सहायक निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा/राजसमन्द।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
- आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)